न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 05/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 08.01.2024
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम 1959

उनवान

भंवरलाल आत्मज श्री नन्दलाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम गुमानपुरा, थाना तालेड़ा, जिला बून्दी हाल निवासी इन्द्र कॉलोनी, नैनवां रोड़ बून्दी, थाना सदर जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये मजिस्ट्रेट, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बद्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश संख्या 65 दिनांक 05.04. 2017 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 717/न्याय/79/बून्दी को नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक DSB/BUNDI/A-(10)ARM.RIN(R)/17/2154 दिनांक 09.03.2017 से शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बन से बहाल किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर उक्त अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 05.04.2017 पारित किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 के तहत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तुस्थिति व विधि विधान के सर्वथा विपरित है। प्रकरण

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

संख्या 72/84 अंतर्गत धारा 323, 325, 34 आई0पी0सी0 भाईयों–भाईयों का प्रकरण था, जिसमें राजीनामा होकर दिनांक 15.05.1990 यानि 27 वर्ष पूर्व ही अपीलार्थी को राजीनामे के आधार पर बरी कर दिया गया था। इसी प्रकरण संख्या 254/10 पुलिस थाना तालेड़ा जिला बून्दी में प्रस्तुत चालान में अपीलार्थी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2016 को दोष मुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके उपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने में कानूनी एवं वाकयाती त्रुटि की गई है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट भी तथ्यों से परे हैं। उन्होनें भी अपीलार्थी व उसके परिवार के बाबत् कोई जांच नहीं की है। अपीलार्थी बूंदी सेन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक से सेवानिवृत कर्मचारी रहा है। इस बाबत् दोबारा जांच मंगवायी जा सकती है। अपीलार्थी के लाईसेंस को बिना किसी कारण के निरस्त करना विवेकपूर्ण अधिकारों का उपयोग नहीं माना जा सकता है। उक्त अनुज्ञापत्र पूर्व में वर्ष 2013 तक नवीनीकृत किया जाता रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी का लाईसेंस बहाल किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 को अपास्त कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करते हुए नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण संख्या 72/84 अंतर्गत धारा 323, 325, 34 आई0पी0सी0 भाईयों–भाईयों का प्रकरण था, जिसमें राजीनामा होकर दिनांक 15.05.1990 यानि 27 वर्ष पूर्व ही अपीलार्थी को राजीनामे के आधार पर बरी कर दिया गया था। इसी प्रकरण संख्या 254/10 पुलिस थाना तालेड़ा जिला बून्दी में प्रस्तुत चालान में अपीलार्थी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2016 को दोष मुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके उपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उक्त अनुज्ञापत्र पूर्व में वर्ष 2013 तक नवीनीकृत किया जाता रहा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी का लाईसेंस बहाल किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 को अपास्त कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करते हुए नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुराध किया गया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने जाहिर किया कि शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के संबधं में जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा कोई अभिशंषा नहीं करने से ही उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 05.04.2017 से निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 717/न्याय/79/बून्दी को नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक DSB/BUNDI/A-(10)ARM.RIN(R)/17/2154 दिनांक 09.03.2017 से शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बन से बहाल किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर उक्त अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 05.04.2017 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि रिपोर्ट में उल्लेखित दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके उपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उक्त अनुज्ञापत्र पूर्व में वर्ष 2013 तक नवीनीकृत किया जाता रहा है। अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 17.12.2013 को आवेदन प्रस्तुत करने पर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के द्वारा पत्रांक एफ.2(1)न्यायिक/शस्त्र/2013/8557 दिनांक 26.12.2013 से पुलिस अधीक्षक, बून्दी से 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक बून्दी के द्वारा पत्रांक DSB/BUNDI/A-(10)ARM.RIN(R)/14/2281 दिनांक 17.02.2014 से प्रेषित सूचना में बिन्दु सं01 की रिपोर्ट में अंकित किया गया कि अनुज्ञापत्रधारी के वर्तमान पते इन्द्रकॉलोनी नैनवां रोड़ बून्दी से जांच करवाई गई तो आवेदक का दिये गये पते पर रहना नहीं पाया गया तथा स्थाई पता गुमानपुरा की थानाधिकारी थाना तालेड़ा से जांच करवाई गई तो गुमानपुरा में रहना नहीं पाया गया है। बिन्दु संख्या 2 में अनुज्ञापत्रधारी का चरित्र एवं चाल–चलन ठीक नहीं होना पाया गया है तथा बिन्दु संख्या 4 अनुसार प्रश्नगत दर्ज प्रकरणों के अतिरिक्त उक्त अवधि में गत विधानसभा चुनावों के दौरान आवेदक द्वारा हथियार जमा नहीं कराने एवं रूहपोष होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक बून्दी के द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदन दिनांक 17.12.2013 के क्रम में शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा नही किया जाना प्रकट होता है। पुलिस अधीक्षक, बून्दी की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2014 से अनुशंषा नहीं किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के द्वारा अपीलार्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.04.2014 से सूचित किया गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 29.04.2014 को जवाब प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.2014 को उक्त अनुज्ञापत्र अन्तर्गत धारित शस्त्र थाना सदर देवपुरा में जमा करवाया जाना अवगत कराया गया। इससे पुलिस अधीक्षक बून्दी की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2014 अनुसार अपीलार्थी के द्वारा गत विधानसभा चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नहीं कराया जाना स्पष्ट होता है, जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी को प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.04.2014 से भी होती है। इसके उपरांत प्रकरण में पुनः जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के द्वारा पुलिस अधीक्षक बून्दी से रिपोर्ट चाही जाने पर प्रश्नगत अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर आदेश संख्या 132 दिनांक 26.08.2014 से अपीलार्थी को स्वीकृत 12 बोर एस.बी.बी.एल.गन अनुज्ञापत्र सं0 717/न्याय/79 बून्दी को निलंबित किया गया तथा इस पर धारित 12 बोर एस.बी.बी.एल.गन नं. 8403 को थाना सदर बून्दी में जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2016 से अनुरोध किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के द्वारा पत्रांक 6783 दिनांक 25.10.2016 से पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक बून्दी द्वारा दिनांक 07.12.2016 एवं इसके उपरांत नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 09.03.2017 से अपीलार्थी/आवेदक को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बन से बहाल किये

संभागीय आयुक्त
लोक सम्पत, कोटा

जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने से जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 05.04.2017 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तथा प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.03.2017 से अभिशंषा नहीं किये जाने से अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 05.04.2017 पारित किया गया, जो उचित प्रकट होता है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार आवेदक द्वारा दिनांक 17.12.2013 को उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने हेतु सर्वप्रथम आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, किंतु तत्समय पुलिस अधीक्षक बून्दी की रिपोर्ट पत्रांक **DSB/BUNDI/A-(10)ARM.RIN(R)/14/2281** दिनांक 17.02.2014 से गत विधानसभा चुनावों के दौरान आवेदक द्वारा हथियार जमा नहीं कराने एवं रूहपोष होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा